कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2023/ 1967 दिनांक :: 23 जनवरी, 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 23 जनवरी, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 16 जनवरी 2023 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **16 जनवरी 2023** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **16 जनवरी 2023** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम 2014 की अनुसूची संख्या –VII – प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा के अन्तर्गत संशोधन के संबंध में (JDA/FTS/93440 एवं 52642)

क्रंसं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	उप निदेशक (प्रवर्तन) के पद पर भर्ती का तरीका प्रतिनियुक्ति अथवा प्रवर्तन अधिकारी पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाने बाबत् विनियम में संशोधन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाना है।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम 2014 की अनुसूची संख्या–VII – प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा में निम्नानुसार पदो का अंकन हैं।

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति द्वारा	पदौन्नति के लिए सिद्धान्त	पदोन्नति के लिए धारित किया जाने वाला निम्न अपेक्षित पद	अभ्युक्तिया
			द्वितीय श्रैणी				
1	उप निदेशक (प्रवर्तन)	100 प्रतिशत राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा	–	–	–	–	–
			जोधपुर विकास प्राधिकरण की आवश्यकता हेतु द्वितीय श्रैणी सेवा संशोधन के प्रस्ताव				
1	उप निदेशक (प्रवर्तन)	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा	–	प्रवर्तन अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	प्रवर्तन अधिकारी	स्नातक

Scanned with CamScanner

नोट :– प्रवर्तन शाखा में कार्यरत प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रवर्तन शाखा में यह पद प्रतिनियुक्ति से भरे जा सकेगे।

उपरोक्तानुसार क्रम संख्या एक पर उप निदेशक (प्रवर्तन) हेतु भर्ती का तरीका में 100 प्रतिशत राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने का अंकन किया गया हैं, इसको संशोधन करते हुए विनियम में उप निदेशक (प्रवर्तन) पद के भर्ती का तरीका के अन्तर्गत 50% राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति से एंव 50% पदोन्नति से भरे जाने बाबत् संशोधन का प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाना हैं।

अतः उक्तानुसार उप निदेशक (प्रवर्तन) के पद पर भर्ती बाबत् विनियम में संशोधन हेतु राज्य सरकार को सूचनार्थ भिजवाते हुए, इसका राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत हैं।

प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि उक्त संशोधन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति/अनुमति प्रदान करने की तिथि से लागू माना जायेगा तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इस पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी।

प्रस्ताव संख्या 3 :: संस्थापन शाखा कार्यकारी समिति हेतु मंत्रालयिक, विधि, आयोजना सेवा, प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा हेतु केडर रिव्यू प्रस्ताव (JDA/FTS/93440 एवं 52642)

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।	संस्थापन शाखा कार्यकारी समिति हेतु मंत्रालयिक, विधि, आयोजना सेवा, प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा हेतु केडर रिव्यू प्रस्ताव (JDA/FTS/93440 एवं 52642)

प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा में स्वीकृत व नवीन वांछित पदों हेतु केडर स्टैन्थ

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	अतिरिक्त वांछित पद	कुल पद
1	मुख्य नियन्त्रक प्रवर्तन	1	–	1	–	1
2	उप निदेशक (प्रवर्तन)	–	–	–	2	2
3	प्रर्वतन अधिकारी	–	–	–	6	6
4	सहायक (प्रवर्तन) अतिक्रमण रोक अधिकारी*	2	1	1	–	2
5	प्रर्वतन निरीक्षक	6	2	4	6	12
6	क्षैत्र सहायक	–	–	–	18	18

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम 2014 की अनुसूची संख्या VII प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा में सहायक (प्रवर्तन) अतिक्रमण रोक अधिकारी के पद का उल्लेख नहीं है तथा प्रवर्तन अधिकारी के पद का उल्लेख है। अतः सहायक (प्रवर्तन) अतिक्रमण रोक अधिकारी के पद को विलोपित कर प्रवर्तन अधिकारी के नये पद के साथ उक्त पदो को स्वीकृत कराने हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

Scanned with CamScanner

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार पद स्वीकृत/सृजित एवं कम संख्या 4 पर अंकित पद को विलोपित करने की कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में वर्णित पदों का 'जोब चार्ट' भी तेयार करवाया जाकर उसका कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में अनुमोदन करवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: श्री रूपाराम मेघवाल , सेवानिवृत भू–प्रबन्ध निरीक्षक की प्राधिकरण में अमीन के रिक्त पद के विरूद्व समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर सेवाए लेने के सम्बन्ध मे।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	यह घोषणा की जाती है कि प्राधिकरण में अमीन के रिक्त पद के विरूद्व सेवानिवृत कार्मिक को प्रतिमाह समेकित पारीश्रमिक पर लगाये जोन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हे।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती है।

प्राधिकरण में निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिक को कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ–17 (10) डीओपी/ए–II /94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में प्राधिकरण में अमीन के रिक्त पद के विरूद्व निम्नलिखित कार्मिक की सेवाए प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निणयार्थ प्रस्तुत है।

क्र.स	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	सेवानिवृत पदनाम	सेवानिवृत तिथि	जन्म तिथि	रिक्त पद के विरूद्व
01.	श्री रूपाराम मेघवाल	भू–प्रबन्ध निरीक्षक	31.03.2021	10.03.1961	अमीन

कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत कार्मिको को एक वर्ष या प्राधिकरण की आवश्यकता तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण कार्यकारी समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार श्री रूपाराम मेघवाल, सेवानिवृत्त भू–प्रबन्ध निरीक्षक को कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार एक वर्ष या प्राधिकरण की आवश्यकता तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में संस्थानों/समाजो के लिए भूमि चिन्हिकरण बाबत।

Scanned with CamScanner

क.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	बड़ली के खसरा संख्या 05 में सस्थानों/समाजो को भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

प्राधिकरण में विभिन्न चैरिटेबल व अन्य समाजिक सस्थानों द्वारा समय –समय पर भूमि आवंटन माँग की जा रही है। पूर्व में ग्राम मोगडा में संस्थाओं हेतु भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था परन्तु उक्त खसरे में वाद होने के कारण उक्त स्थान पर संस्थाओ/समाजों को भूमि का आवंटन नही किया जा सकता। इसलिए ग्राम बड़ली के खसरा सख्या 05 में संस्थानों/समाजो के लिए भूमि आवंटन करने पर विचार किया गया।

ग्राम बड़ली के खसरा सख्या 05 कुल रकबा 481–15 बीघा किस्म गै.मु.छीतर भूमि नगर सुधार न्यास के नाम से दर्ज है। कुल रकबा 481–15 बीघा भूमि में से 100 बीघा भूमि में सस्थानों/समाजो को भूमि आवंटन के लिए भूमि चिन्हित करने की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित उपायुक्त–4 ने अवगत कराया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। इस पर निदेशक–विधि द्वारा बैठक में अवगत कराया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नहीं है। अतः प्रश्नगत भूमि को आरक्षित किये जाने के संबंध में निर्णय लेने बाबत कोई विधिक बाधा नहीं है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: सुरपुरा डिग्गी के चारों तरफ चैनल निर्माण हेतु निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	सुरपुरा डिग्गी के चारों तरफ चैनल निर्माण हेतु निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में।

मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक कमांक–12/भूअ/जस/2021/2504 दिनांक 15.04.2022 के द्वारा प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम मंडोर द्वितीय में स्थित सुरपुरा डिग्गी के सहारे–सहारे चैनल निर्माण बाबत् भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया है। अधिग्रहण हेतु अग्रिम राशि हस्तांतरित करने की सक्षम स्वीकृति भी प्रदान की गई है। उक्त चैनल निर्माण के क्षेत्र में आने वाली निजी खातेदारी भूमि के अधिग्रहण करने व मुआवजे का विवरण मय खातेदारों की सूची अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन विभाग, जोधपुर के हस्ताक्षरसुदा सूची पत्र के साथ उपलब्ध करवाई गई जिसमें कुल 20 खसरों की निजी खातेदारी भूमि का कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि अवाप्त की जानी है। इस संबंध में उप पंजीयन कार्यालय चतुर्थ जोधपुर से उक्त क्षेत्र की बाजार मूल्य/डी.एल.सी. की सूची के अनुसार गणना की जाकर प्रश्नगत भूमि का कुल मुआवजा राशि रूपये 21,02,65,378/– का मुआवजा निर्धारण करते हुए प्राधिकरण कार्यालय को सूची उपलब्ध करवाई गई है।

Scanned with CamScanner

चूंकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत् प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो समय अधिक लगने की पूर्ण संभावना है किन्तु उक्त भूमि को कार्ययोजना को अमल में लाने के लिये भूमि की अविलम्ब आवश्यकता को देखते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 45 के तहत् भूमि एवं भूमि पर स्थित संरचनाओं के धारकों की सहमति/समझाईश पर क्रय किये जाने का प्रावधान है। अग्रिम राशि की स्वीकृति जल संसाधन विभाग द्वारा प्राप्त हो चुकी है। अतः प्राधिकरण पर आर्थिक भार भी नहीं आयेगा।

अतः प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 45 के तहत् प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम मण्डोर द्वितीय में स्थित प्रश्नगत भूमि को क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अधिग्रहण/क्रय की जाने वाली भूमि के अधिकांश खातेदारों द्वारा भूमि अधिग्रहण/क्रय करने की सहमति भी प्रदान कर दी है, जो पत्रावली पर मौजूद है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग जोधपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची में ग्राम मंडोर द्वितीय के खसरा संख्या 300, 289, 290, 291, 395, 396, 81/1, 300/1, 260, 261, 264, 265, 262, 263, 246, 1896/260, 254, 208, 247 एवं 238 की निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण/खरीद/क्रय किया जाना है। इस संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर के निर्देशानुसार प्रभावित खसरों में प्राप्त खातेदारों की सहमति के आधार पर आमसूचना/ उजरदारी स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति, राजस्थान पत्रिका में दिनांक 23.12.2022 को प्रकाशन करवाया गया। इस प्रकाशन के पश्चात् 28 हितबद्धधारकों ने अपनी आपत्ति/उजरदारी प्रस्तुत की है,जो पत्रावली में संलग्न की गई। आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् ही मुआवजे की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा की जायेगी।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिनियम 2009 की धारा 45 के तहत प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम मण्डोर द्वितीय में स्थित सुरपुरा डिग्गी चैनल निर्माण हेतु कुल 20 खसरों की कुल रकबा 20 बीघा एवं 12 बिस्वा निजी खातेदारी भूमि अधिग्रहण/क्रय की जाकर एवं हितबद्धधारकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार मुआवजा भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति में किया जाना है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे करवाया जाकर मौके पर मुटाम लगाये जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: माता का थान से आंगणवा–सुरपुरा होते हुए नागौर रोड़ तक चार लेन सड़क निर्माण कार्य हेतु आंगणवा गांव में भूमि अवाप्ति के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	माता का थान से आंगणवा–सुरपुरा होते हुए नागौर रोड़ तक चार लेन सड़क निर्माण कार्य हेतु आंगणवा गांव में भूमि अवाप्ति के संबंध में।

श्रीमान जिला कलक्टर, जोधपुर के पत्र क्रमांक/विकास/2022/1656 दिनांक 7.11.2022 का कृपया अवलोकन करावे। कलक्टर महोदय जोधपुर ने उल्लेखित पत्र द्वारा प्रस्तावित सड़क के चौड़ाईकरण हेतु आंगणवा एवं मण्डोर द्वितीय राजस्व गांव के खसरा संख्या 13 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा

Scanned with CamScanner

(1.75 किमी) भूमि की अवाप्ति की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिये प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को निवेदन किया गया है। इसके साथ ही प्रस्तावित सड़क की निजी खातेदारी भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से करवाने हेतु निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया। कृपया पत्र का अवलोकन करावे।

उक्त प्रकरण में अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण वृत, जोधपुर ने अपने पत्र कमांक 2868–71 दिनांक 22.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 2879–82 दिनांक 23.11.2022 के द्वारा आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को उक्त अवाप्ति प्रकरण में मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने से अवगत कराया है। अतः प्राधिकरण पर आर्थिक भार भी नहीं आयेगा। प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम मण्डोर द्वितीय में स्थित ग्राम आंगणवा के कुल 30 खातेदारों की भूमि अवाप्त करने हेतु अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड द्वितीय, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड मण्डोर ने मुआवजा सूची उपलब्ध करवाई है। जिसमें कुल 30 खातेदारों का कुल मुआवजा रूपये 7,60,52,231/– का निर्धारण किया है। उक्त निजी खातेदारी भूमि का रकबा 6.744 बीघा प्राथमिकता के आधार पर उक्त सड़क विस्तार हेतु अवाप्ति की जानी उचित होगी। इस खसरे से संबंधित हितबद्धधारकों से उक्त प्रयोजन हेतु निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण/क्रय किये जाने से पूर्व सहमति ली जानी आवश्यक है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यास्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत् वांछित भूमि का अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जाती है तो 2 वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना है, किन्तु उक्त भूमि को कार्ययोजना को अमल में लाने के लिए भूमि की अविलम्ब आवश्यकता को देखते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 45 के तहत् प्रश्नगत भूमि को नेगोशिएशन/समझाईश के आधार पर क्रय की जानी उचित होगी ।

प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील के ग्राम मण्डोर द्वितीय क्षेत्र में स्थित ग्राम आंगणवा में सूची अनुसार कुल 30 खातेदारों के नाम इन्द्राज हैं। इसके साथ ही यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि सरकारी भूमि पर करीब 76 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर भौतिक संरचनाओं का निर्माण कर सूची सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर द्वारा पेश की है, जिसका मुआवजा रूपये 3,55,91,153/– नियत किया गया हैं। अतिक्रमित व्यक्तियों के संरचनाओं की राशि का मुआवजा स्वीकृत नहीं किया गया है।

अतः अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 2488 दिनांक 12.01.2023 द्वारा निवेदन किया गया है कि खसरा संख्या 89 मण्डोर द्वितीय जोधपुर के ग्राम आगणवा में 6.744 बीघा भूमि की अवाप्ति प्राथमिकता के आधार पर अवाप्त की जावे, ताकि सड़क चौड़ाईकरण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाया जा सके।

इस संबंध में खसरा संख्या 89 के खातेदारों से सहमति आने पर जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 45 के तहत प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम मण्डोर द्वितीय के ग्राम आंगणवा के कुल रकबा 6.744 बीघा निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण/क्रय किया जाकर एवं हितबद्धधारकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यास्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत् नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान रूपये 4,45,22,472/– का निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर द्वारा पेश किया है, जिसका भुगतान खातेदारो की सहमति प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। उपरोक्त प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु लिया जाना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे करवाया जाकर मौके पर मुटाम लगाये जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: बालसमन्द से रावटी सड़क चौडाईकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करने के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	बालसमन्द से रावटी सड़क चौडाईकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करने के संबंध में।

श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर के पत्र क्रमांक /विकास/ रावटी/सड़क /2022/ 1734 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम मण्डोर प्रथम में स्थित बालसमन्द से रावटी सड़क चौडाईकरण हेतु निजी खातेदारी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करने के लिए श्रीमान्जी द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को निर्देश प्रदान किये गये। इसके साथ ही अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर, उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर, तहसीलदार जोधपुर एवं उपपंजीयक जोधपुर के हस्ताक्षरसुदा उक्त क्षेत्र की अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा गणना राशि रूपये 2,87,31,246/– की जाकर संलग्न प्रस्तुत की गई है।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के निर्देशानुसार प्रस्तावित जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम मण्डोर प्रथम स्थित बालसमन्द से रावटी सड़क चौडाईकरण हेतु निजी खातेदारी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करने हेतु खसरा संख्या 1544/1, 1544, 1545, 1546, 1547 अवाप्ताधीन रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा 16 बिस्वांशी निजी खातेदारी भूमि उक्त प्रयोजन हेतु अधिग्रहण की जानी है, किन्तु मुआवजा राशि का चुकारा किस विभाग द्वारा किया जायेगा एवं किस कार्यकारी एजेन्सी द्वारा सड़क का निर्माण किया जायेगा, स्पष्ट नहीं है। यहाँ उल्लेख करना समिचिन होगा कि उक्त अवाप्ताधीन क्षेत्र नगर निगम जोधपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

ग्राम मण्डोर प्रथम के खसरा संख्या 1544, 1545, 1540/1 कुल रकबा 6.03 बीघा राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदार हुकम सिंह, पृथ्वीसिंह, बलवीर सिंह उर्फ जेठूसिंह पिता पुखराज, विद्या देवी, सोहनी देवी पिता पुखराज एवं नवरतन, देवेन्द्र पिता जयसिंह प्रत्येक बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। इन खसरान् के भूमि मे से उक्त प्रयोजन हेतु अवाप्त की जानी है। इन सभी खातेदारों ने भूमि अवाप्ति हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

प्रश्नगत भूमि के खसरा नं. 1546 रकबा 0.12 बीघा किस्म गैर मुमकीन बेरा खातेदार पन्नालाल पिता जमना 1/3 हिस्सा, पुखराज, जयसिंह पिता खींयाराम 1/3 हिस्सा, रामलाल पिता गंगाराम 1/3 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। तहसीलदार जोधपुर के पत्र क्रमांक /राजस्व/भूअवा/2023/150 दिनांक 12.01.2023 के अनुसार उक्त तीनों खातेदारों का देहान्त हो चुका है, किन्तु उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है एवं उत्तराधिकारियों द्वारा उक्त भूमि अवाप्ति हेतु अपनी सहमति प्रदान नहीं की है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3516 दिनांक 18.01.2023 को तहसीलदार जोधपुर को देहान्त हो चुके खातेदारों के उत्तराधिकारियों की सूची एवं उनकी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

Scanned with CamScanner

प्रश्नगत अवाप्ति के संबंध में ग्राम मण्डोर प्रथम के खसरा संख्या 1547 कुल रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा किस्म चाही खातेदार नरसिंह पुत्र धूलजी एवं चित्रलेखा पत्नी नरसिंह के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में आवासीय कॉलोनी काट कर अलग–अलग भूखण्डों में बेचान की गई है तथा क्रेताओं तथा भूखण्डधारकों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। उक्त भूमि वर्ष 2013 में स्वप्रेरणा से जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को हस्तान्तरण हो चुकी है तथा मौके पर चल रही उक्त सड़क के केन्द्र बिन्दु से 50 फीट छोड़कर भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये हैं। उक्त सड़क मौके पर 100 फीट नक्शा प्लान स्वीकृत किया गया है। प्रभावित भूमि मौके पर खाली है, किन्तु वर्तमान स्थित सड़क सीमा में सुमेरसिंह पुत्र रामलाल द्वारा कब्जा कर मकान व चारदीवारी बना ली गई है। जिसे नियमानुसार कार्यवाही कर हटाये जाने है।

इस संबंध में ग्राम मण्डोर प्रथम के खसरा संख्या 1544/1, 1544, 1545, 1546, 1547 अवाप्ताधीन रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा 16 बिस्वांशी की निजी खातेदारी भूमि के अधिग्रहण हेतु कुल चार खातेदारों में से क्रम संख्या 01 व 02 की सहमति प्राप्त हो चुकी है एवं शेष खातेदारों के लिए तहसीलदार जोधपुर को लिखा गया है। प्रश्नगत भूमि का प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 45 के तहत् आपसी सहमति/नेगोशिएशन से भूमि क्रय की जानी प्रस्तावित है। खातेदारों को आर्थिक क्षति न हो इस हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत् अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना उचित होगा। अतःउक्त अवाप्ति प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु लिया जाना आवश्यक है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे करवाया जाकर मौके पर मुटाम लगाये जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2022/ भाग–13/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 97 /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(जय नारायण मीणा) 23/1/23
सचिव

क्रमांक/बैठक/2023/1968-87 दिनांक ::23 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
03. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. निजी सचिव जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर

Scanned with CamScanner

06. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
10. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
11. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
12. प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
14. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त–1/2/3/4/5/6/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–1

श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 23 जनवरी, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती मधुलिका सिवर, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
2. श्री जे.सी. व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, सिटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
3. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी सर्कल, जोधपुर
5. श्री सुनील के. पंवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आर.), जोधपुर
6. श्री गोरधन राम, निरीक्षक पुलिस (यातायात), पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर
7. श्री श्रवण कुमार दाधिच, प्रबन्धक (प्रशासन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
8. श्री भानु प्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
9. श्री मितेश रतानी, क्षैत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर
10. श्री दीपक कुमार गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण
11. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री सुभाष चन्द शर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री दशरथ कुमार सोलंकी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्रीमती मृदुला शेखावत, उपायुक्त–1, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री विशनाराम माली, उपायुक्त–5, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0

Scanned with CamScanner